प्रभु बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 86 सन् 2023

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 2.5.23 | वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 25.5.23 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>सहायक कलक्टर माण्डल | |
| 5.6.23 | पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पचांयत सिड़ियास मे पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया गया। पत्रावली हो।<br>हुक्मीचन्द रोहलानिया<br>उपखण्ड अधिकारी माण्डल<br>प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023 | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:43:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 86/23 प्रा०पत्र

1– श्री प्रभु s/o श्री भैरुदास बैरागी निवासी-गणेशपुरा तहसील-मांडल (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री बजरंगदास s/o श्री मदनदास बैरागी निवासी-गणेशपुरा तहसील-मांडल [भीलवाड़ा]
(प्रत्यंकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 05.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सिड़ियास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 153,156,160,200, 305,306 कुल किता 06 रकबा 3.0856 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गणेशपुरा पटवार सिड़ियास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 153,156,160,200,305,306 कुल किता 06 रकबा 3.0856 हेक्टेयर की चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा को 1300/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कार्यालय में जमा कराने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्ह का आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:43:14 IST
Reason: SelfAttested

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।